

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2016/पौष 24, 1937

No. 20]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/PAUSA 24, 1937

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

**जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना**

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

**विषय : बांग्लादेश, ताइवान, कोरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाइड्रोजन पेरोक्साइड" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।**

**फा. सं. 14/3/2015-डीजीएडी.—** मै. नैशनल पेरोक्साइड लि. और मै. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (जिन्हें एतद्पश्चात आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें बांग्लादेश, ताइवान, कोरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाइलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाइड्रोजन पेरोक्साइड" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथमदृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' तथा कथित पाटन एवं 'क्षति' के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं; प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित

पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### **घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

3. विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के रूप में मै. नैशनल पेरॉक्साइड लि. और मै. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त घरेलू उत्पादकों के अतिरिक्त भारत में संबद्ध वस्तु के दो अन्य उत्पादक हैं नामतः मै. गुजरात एल्कलीज़ एंड केमिकल्स लि. और मै. एशियन पेरॉक्साइड लि.। जहां आवेदकों ने उल्लेख किया है कि मै. एशियन पेरॉक्साइड लि. ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का अत्यधिक आयात किया है, वहीं मै. गुजरात एल्कलीज़ एंड केमिकल्स लि. ने वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है। आवेदकों के साथ-साथ समर्थक कंपनी ने यह उल्लेख करते हुए घोषणापत्र प्रस्तुत किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देशों के किसी निर्यातक या उत्पादक से अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।

4. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार समान वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन में आवेदकों के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों पूरा करता है।

### **विचाराधीन उत्पाद**

5. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद बांग्लादेश, ताइवान, कोरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाइलैंड के मूल का अथवा वहां से निर्यातित '90% से कम संघनन वाला हाइड्रोजन पेरॉक्साइड' है।

6. हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का उत्पादन अलग-अलग संघननों में किया जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद खुले और पैकड दोनों ही रूपों में बेचा जाता है। वाणिज्यिक रूप से उत्पाद का उत्पादन और बिक्री 35%, 50%, 60% और 70% संघननों में की जाती है। आम तौर पर इसका उत्पादन और बिक्री 50% आधार पर की जाती है। आवेदकों ने निवेदन किया है कि 90% संघनन वाले उत्पाद का उपयोग इसरो में किया जाता है और घरेलू उद्योग इसका उत्पादन नहीं करता है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे को सीमित करके उसे '90% से कम संघनन वाले हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (एच2ओ2)' के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। तथापि, पूर्व जांच में विचाराधीन उत्पाद को ऐसे संघनन आधारित किसी प्रतिबंध के बिना 'हाइड्रोजन पेरॉक्साइड' के रूप में परिभाषित किया गया था। इसे देखते हुए प्राधिकारी पूर्व जांच के अनुरूप विचाराधीन उत्पाद को 'हाइड्रोजन पेरॉक्साइड' के रूप में परिभाषित करते हैं। तथापि, जांच की प्रक्रिया में विचाराधीन उत्पाद को 90% तक सीमित रखने के आवेदक के अनुरोध की जांच की जा सकती है और उस पर अंतिम जांच परिणाम के चरण में विचार किया जा सकता है।

7. हाइड्रोजन पेरॉक्साइड में अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण हैं और इसलिए यह शक्तिशाली ब्लीचिंग एजेंट है जिसका उपयोग निस्संक्रामक, ऑक्सीकारक और रॉकेट्री (विशेष रूप से उच्च संघननों में - मोनोप्रॉपेलेट जैसे उच्च जांच पेरॉक्साइड (एचटीपी) के रूप में होता है) और बाइप्रॉपेलेट प्रणालियों में होता है तथा इसका प्रयोग गंध नियंत्रण, जंग नियंत्रण, अजैविक एवं जैविक ऑक्सीकरण, विषाक्तता में कमी/जैविक सड़न में सुधार करने, विसंक्रमण/जैविक नियंत्रण, कागज एवं लुगदी ब्लीचिंग, पेरॉक्साइड्स एवं इपॉक्साइड्स के विनिर्माण, कीटाणुरोधक और जीवाणुरोधी एजेंट जैसे चिकित्सीय प्रयोगों के लिए होता है।

8. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत उप-शीर्ष 28470000 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

### **समान वस्तु**

9. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन पेरॉक्साइड और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसे अनिवार्य उत्पाद

विशेषताओं के रूप में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं और कर रहे हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए उन्हें नियमानुसार 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' माना है।

### **शामिल देश**

10. विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित वर्तमान जांच में संबद्ध देश बांग्लादेश, ताइवान, कोरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाइलैंड (जिन्हें "संबद्ध देश" भी कहा गया है) हैं।

### **सामान्य मूल्य**

#### **पाकिस्तान**

11. जैसाकि आवेदकों द्वारा उल्लेख किया गया है, उन्होंने पाकिस्तान के घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पाकिस्तान की एक कंपनी से संबंधित वित्तीय सूचना के आधार पर पाकिस्तान में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

#### **बांग्लादेश, ताइवान, कोरिया, इंडोनेशिया और थाइलैंड**

12. आवेदकों ने निवेदन किया है कि इन देशों में घरेलू कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के सभी संभव प्रयास किए गए थे, परन्तु वे इन देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में असफल रहे थे। आवेदकों ने प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, आवेदक उद्योगों के खपत मानदंडों, संबद्ध देशों की विद्युत कीमतों पर विचार करते हुए इन देशों की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर बांग्लादेश, ताइवान, कोरिया, इंडोनेशिया और थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। लागत और कीमत में अत्यधिक अंतर को देखते हुए खुले और पैकड संबद्ध वस्तु के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और फिर भारत औसत निकाला गया है।

### **निर्यात कीमत**

13. आवेदकों ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदे-वार आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए कमीशन, समुद्री भाड़े, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार और समुद्री बीमा हेतु कीमत समायोजन का दावा किया गया है।

### **पाटन मार्जिन**

13. कारखाना-द्वार स्तर पर सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों की तुलना की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमतों से काफी अधिक है जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन को न्यूनतम से अधिक पाया गया है। लागत और कीमत में अत्यधिक अंतर को देखते हुए खुले और पैकड संबद्ध वस्तु के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और फिर भारत औसत निकाला गया है।

### **क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

14. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने सापेक्ष रूप में और भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत ह्रास, कम कीमत पर बिक्री; और लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय तथा घरेलू उद्योग के लिए नकद प्रवाह के रूप में परिणामी अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को 'क्षति' होने के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या प्रमाण हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराते हैं।

### **जांच अवधि**

वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2014 से 30 जून, 2015 तक (15 माह) की है। तथापि क्षति विश्लेषण अवधि में अप्रैल 2011- मार्च 2012, अप्रैल 2012- मार्च 2013, अप्रैल 2013- मार्च 2014 और जांच अवधि शामिल है।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,**  
**नई दिल्ली - 110001**

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

### **समय-सीमा**

18. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने या अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

21. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अभ्यावेदनों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)। प्रस्तुत समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर शीर्ष पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

22. ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

23. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है या ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

24. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

25. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

26. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

27. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### **असहयोग**

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**

### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th January, 2016

**Subject: Anti Dumping investigation concerning imports of 'Hydrogen Peroxide' originating in or exported from Bangladesh, Taiwan, Korea, Indonesia, Pakistan and Thailand.**

No. 14/3/2015-DGAD.—M/s National Peroxide Limited and M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd (hereinafter also referred to as the applicants) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty concerning imports of Hydrogen Peroxide (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from Bangladesh, Taiwan, Korea, Indonesia, Pakistan and Thailand (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

### **Domestic Industry & Standing**

3. The Application has been filed by M/s National Peroxide Limited and M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd, as domestic industry of the product under consideration. Apart from the above domestic producers there are two other producers of subject goods in India, namely M/s Gujarat Alkalis and Chemicals Ltd and M/s Asian Peroxide Limited. While the applicants have stated that M/s Asian Peroxide Limited has made significant imports of subject goods from the subject countries during the period of investigation, M/s Gujarat Alkalis and Chemicals Ltd have supported the present application. The applicants as well as the supporting company have furnished declaration stating that they have

not imported the PUC from the subject countries and are not related either to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or any importer of the subject goods in India

4. As per the evidence available on record, the production of the applicants account for a major proportion in the gross domestic production of the like article. The Authority, therefore, determines that the applicants constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

#### **Product under consideration**

5. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Hydrogen peroxide of concentration below 90%”, originating in or exported from Bangladesh, Taiwan, Korea, Indonesia, Pakistan and Thailand.

6. Hydrogen peroxide can be produced in different concentrations. The product under consideration is sold in both loose and packed conditions. Commercially, the product is produced and sold in 35%, 50%, 60% and 70% concentration. It is generally produced and sold on 50% basis. Applicants have submitted that 90% concentration of the product is used by ISRO and the product is not produced by the domestic industry and hence the scope of product under consideration should be restricted and defined as “Hydrogen Peroxide (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) below 90% concentration”. However, in the earlier investigation the PUC was defined as ‘Hydrogen Peroxide’ without any such concentration based restriction. In view of this, the Authority defines the PUC as ‘Hydrogen Peroxide’ in line with the earlier investigation. However, the request of the applicant for restricting the PUC to 90% concentration can be examined during the course of the investigation and considered at the stage of final finding.

7. Hydrogen peroxide has strong oxidizing properties and is therefore a powerful bleaching agent that has found use as a disinfectant, as an oxidizer, and in rocketry (particularly in high concentrations as high – test peroxide (HTP) as a monopropellant) and in bipropellant systems and finds application in odour control, corrosion control, inorganic and organic oxidation, toxicity reduction/biodegradability improvement, disinfection/bio-control, paper and pulp bleaching, manufacture of peroxides and epoxides, therapeutic uses as an antiseptic and antibacterial agent.

8. Subject goods are classified under Chapter 28 under sub-heading 28470000 of Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and in no way it is binding on the scope of the investigation.

#### **Like Article**

9. The applicants have claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the applicants. As submitted by the applicants, the hydrogen peroxide produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicants have further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicants in India as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries/territories.

#### **Countries involved**

10. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from Bangladesh, Taiwan, Korea, Indonesia, Pakistan and Thailand (referred to as the “subject countries”).

#### **Normal Value**

##### **Pakistan**

11. As stated by the applicants, they have made efforts to get evidence of price of product concerned in the domestic market of Pakistan. Normal value in Pakistan has been determined on the basis of financial information pertaining to one company from Pakistan as furnished by the applicants.

##### **Bangladesh, Taiwan, Korea, Indonesia and Thailand**

12. Applicants have submitted that best possible efforts were made to procure evidences of domestic price in these countries, but however they were unable to get any documentary evidence or reliable information with regard to the domestic prices of the subject goods in these countries. The applicants have claimed the normal value in respect of Bangladesh, Taiwan, Korea, Indonesia and Thailand on the basis of best estimates of cost of production in these countries, considering international price of the major raw materials, consumption norms of the applicant industries, power prices of respective subject countries. In view of significant difference in cost and price, normal value has been determined for loose and packed subject goods separately and then weighted averaged.

#### **Export Price**

13. The applicants have determined export price on the basis of data procured from transaction wise DGCI&S data. Price adjustments have been claimed on account of commission, ocean freight, port expenses, inland freight, bank charges, and marine insurance to arrive at the net export price.

#### **Dumping Margin**

14. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above de minimis. In view of significant difference in cost and price, dumping margins have been determined for loose and packed subject goods separately and then weighted averaged.

#### **Injury and Causal Link**

15. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price suppression, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of profits, return on capital employed, and cash flow to the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

#### **Period of Investigation (POI)**

16. The period of investigation (POI) for the present investigation is from 1st April, 2014 to 30th June 2015 (15 months). The injury investigation period will however cover the periods April' 2011-March' 2012, April' 2012-March' 2013, April' 2013-March' 2014 and the POI.

#### **Submission of information**

17. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product under consideration are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,  
New Delhi -110001.**

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

#### **Time limit**

19. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

#### **Submission of Information on Non-Confidential basis**

21. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

22. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.

23. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

### **Inspection of Public File**

27. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

### **Non-cooperation**

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A.K. BHALLA, Designated Authority